Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर मंडल का मुख्य कार्यालय अधीक्षक 1400 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी

जयपुर, *05 मई, गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी जयपुर नगर द्वितीय इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये गोपाल प्रसाद मीणा मुख्य कार्यालय अधीक्षक कार्यालय सहायक मंडल इंजिनियर (मुख्यालय–द्वितीय), उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर मंडल को परिवादी से **1400 रुपये** रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर नगर द्वितीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर मंडल कार्यालय में संविदा पर चल रही उसके बोलेरो वाहन के बकाया बिलों के भुगतान की एवज में गोपाल प्रसाद मीणा मुख्य कार्यालय अधीक्षक कार्यालय सहायक मंडल इंजिनियर (मुख्यालय–द्वितीय), उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर मंडल द्वारा 1400 **रूपये** की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जयपुर नगर द्वितीय इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री राजपाल गोदारा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री अभिषेक पारीक** मय टीम के ट्रेप कार्यवाही करते हुये गोपाल प्रसाद मीणा पुत्र श्री बोदन राम मीणा निवासी जयपुर हाल मुख्य कार्यालय अधीक्षक कार्यालय सहायक मंडल इंजिनियर (मुख्यालय–द्वितीय), उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर मंडल को परिवादी से **1400 रूपये** रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।